

36

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क्र. /2018/रिवीजन (पी.बी.आर.)

किशोरानी- 5855/2018/ग्वालियर/भू-रू.

1- रामकिशन पुत्र स्व. श्री नैनसुख मौर्य

2- नेतराम पुत्र श्री छीतरिया

निवासीगण ग्राम सैंथरी तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) हाल निवास नदीपार टाल मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) — आवेदकगण

बनाम

1- गुलाबसिंह पुत्र श्री जबरसिंह

2- श्रीमती श्रीबाई पत्नी श्री गुलाब सिंह

जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम सैंथरी परगना व जिला ग्वालियर (म.प्र.) हाल निवास आदर्श नगर, पिंटो पार्क, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) — अनावेदकगण

श्री. गुलाब सिंह
द्वारा आज दि. 25-9-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 4-10-18 यत।

कलक ऑफिस
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर



सविन उद्देश्ये इत्यदि
वर्ग विद्विधातु तात्पर्य।

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी क्षेत्र मुरार सिटी जिला ग्वालियर द्वारा प्र.क्र. 28/2016-17/अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.02.2018 से व्यथित होकर के।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5855/2018/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री रणवीर सिंह, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जाता है ।</p> <p> सी३२</p> <p> अध्यक्ष</p>	